[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सेवा कानूनःअनुकंपा नियुक्ति-दावा-नियम लागू, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर प्रचलित नियम, जिसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई या आवेदन पर विचार के समय प्रचलित बाद की योजना-तथ्यों पर, अपीलार्थी ने 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया-हालांकि, आवेदन विचार के लिए लंबित रखा गया-इस बीच, 1990 के नियमों को 2020 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-इसके बाद, आवेदन पर 2020 के नियमों के तहत विचार किया गया-अपीलार्थी द्वारा इसे चुनौती देने वाली रिट याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर कहा गयाःअपीलार्थी ने 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा किया-अपीलार्थी की ओर से कोई गलती और/या देरी और/या लापरवाही बिल्कुल नहीं थी-किसी न किसी आधार पर विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी थी-अपीलार्थी अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से वंचित है जो वह अन्यथा 1990 के नियमों के तहत हकदार था, इस प्रकार, 1990 के नियमों-उड़ीसा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 1990-ओडिशा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 2020 के तहत नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अनुकंपा नियुक्ति-उद्देश्य और उद्देश्य-आयोजितःअनुकंपा नियुक्ति का आधार या नीति सेवा में रहते हुए मृतक कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने में तात्कालिकता है-इस प्रकार, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों पर प्रचलित नीति के अनुसार जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और उन पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन ऐसे पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं-आवेदन पर समय पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए न कि विलंबित तरीके से-विचार निष्पक्ष, उचित और प्रासंगिक आधार पर होना चाहिए।

विचार-इसे तुच्छ और मामले के तथ्यों से परे कारणों के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी उड़ीसा सिविल सेवा **(**पुनर्वास सहायता**)** नियम, **1990** के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार होगा, जो उस समय लागू थे जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी और अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, अर्थात वर्ष **2010** में।**[**पैरा **5] [714-**सी-डी**]**

1.2 यह विवाद में नहीं है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए **2.1.2010** पर हुई थी।तुरंत, जुलाई **2010** में, अपीलार्थी ने **1990** के नियमों के तहत जूनियर क्लर्क के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।**1990** के नियमों के नियम **2 (**बी**)** के अनुसार, "परिवार के सदस्य" का अर्थ होगा और इसमें वरीयता के क्रम में सदस्य शामिल होंगे, जिसमें शामिल हैं, **(i)** पत्नी/पति **(ii)** बेटे। इसलिए, जब माँ अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण सरकारी नौकरी करने में असमर्थ थी, तो अपीलार्थी, पुत्र होने के नाते, अपने पिता की मृत्यु पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने का हकदार था।अपीलार्थी का आवेदन, हालांकि वर्ष **2011** में अग्रेषित किया गया था, शुरू में पाँच साल की अवधि के लिए विचाराधीन रखा गया था।पाँच साल की अवधि के बाद अतिरिक्त सचिव ने इसमें भाग लिया।मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में एक नई रिपोर्ट मांगी गई थी।इसके अलावा मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी की मां की जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य थी।हालाँकि अपीलार्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी पात्रता मानदंडों और/या शर्तों को पूरा किया, लेकिन उन्हें **1990** के नियमों के अनुसार जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।हालाँकि, इस बीच, **1990** के नियमों को बदल दिया गया और **2020** के नियम लागू हो गए।**[**पैरा **6] [714-**ई, एफ-एच**; 715-**ए, बी, सी-डी**]**

जी.

1.3 अपीलार्थी की ओर से कोई गलती और/या देरी और/या लापरवाही नहीं थी।वह **1990** के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा कर रहे थे।बिना किसी कारण के, उनके आवेदन को लंबित रखा गया और/या किसी न किसी आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।इसलिए, जब ए

एच.

709

मलय नंदा सेठी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य ए

यदि अपीलार्थी की ओर से कोई गलती और/या देरी नहीं थी और पूरे विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी हुई थी, तो अपीलार्थी को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।**1990** के नियमों के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति नहीं करना विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता के लिए एक प्रीमियम देना होगा।विभाग/अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से लापरवाही बरती गई।तथ्य स्पष्ट हैं और रोजगार की मांग में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने में गंभीर देरी को प्रकट करते हैं जो निर्विवाद रूप से विभाग/अधिकारियों के लिए जिम्मेदार है।वास्तव में, अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से वंचित कर दिया गया है, जिसका वह अन्यथा **1990** के नियमों के तहत हकदार था।अपीलार्थी विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता का शिकार हो गया है जो जानबूझकर या संबंधित अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से हो सकता है।इसलिए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, बड़े प्रश्न को खुला और अलग रखते हुए, अपीलार्थी को **1990** के नियमों के तहत नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे **2010** में किए गए अपने मूल आवेदन के अनुसार **1990** के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करें और यदि वह अन्यथा उसे जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त करने के योग्य पाया जाता है।**[**पैरा **7** और **8] [715-**डी-एच**; 716-**ए-सी**]**

2.1 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य, अर्थात, एक मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है और आधार या नीति मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के

परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने में तत्काल है, अधिकारियों को इस तरह के आवेदनों पर विचार करना चाहिए और इस तरह के पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं, बल्कि प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्णय लेना चाहिए।**[**पैरा **9] [716-**डी-ई**]**

जी.

2.2 यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य प्रासंगिक नीतियों के तहत परिकल्पित है

एच.

या नियमों को प्राप्त करना होगा तो यह उचित और आवश्यक है कि ऐसे आवेदनों पर समय पर विचार किया जाए न कि विलंबित तरीके से।लगभग दो दशकों के ऐसे मामले हैं, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन के संबंध में विवाद का समाधान नहीं किया गया है।इसके परिणामस्वरूप सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपापूर्ण नियुक्ति देने की नीति की हताशा पैदा होती है।इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए।विचार निष्पक्ष, उचित और प्रासंगिक विचार पर आधारित होना चाहिए।आवेदन को तुच्छ और मामले के तथ्यों से परे कारणों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **9] [717-**ए-सी**]**

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य **(2020) 7** एससीसी **617:[2020] 3** एस. सी. आर**. 1177;** इंडियन बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला

और एक और (2020) 2 एससीसी 729:[2020] 1 एससीआर 408;

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास **(2020) 10** एससीसी **496;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी सिविल

अपील सं. 6903/2021 पर निर्णय लिया गया 18.11.2021; द.

मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, बी. एस. एन. एल. बनाम

विद्या प्रसाद सिविल अपील सं. 6019/2021 पर निर्णय लिया गया

28.09.2021; सरकार के सचिव। शिक्षा विभाग **(**प्राथमिक**)** और अन्य बनाम भीमेश उर्फ

भीमप्पा 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1264-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर **1177**

संदर्भित किया गया है

पैरा **2.2**

[2020] 1 एससीआर **408**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

(2020) 10 एससीसी **496**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील सं. 4103।

जी.

2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 28023 में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.10.2021 से।

भरत संगल, वरिष्ठ अधिवक्ता, नगरकट्टी कार्तिक उदय, सुश्री बबीता कुशवाहा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एच.

711

मलय नंदा सेठी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य ए

ए.

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (सिविल) संख्या में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और राज्य के अधिकारियों को इसमें अपीलार्थी को नियुक्त करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है- अनुकंपा के आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ता, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

कि अपीलार्थी के पिता-मूल रिट याचिकाकर्ता आबकारी विभाग में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे।सेवा में रहते हुए 02.01.2010 पर उनका निधन हो गया।अपने पिता की मृत्यु पर, अपीलार्थी ने जुलाई, 2010 में उड़ीसा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 1990 (इसके बाद "1990 नियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अनुकंपा के आधार पर जूनियर क्लर्क के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया।अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि उसकी माँ अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण सरकारी नौकरी करने में असमर्थ थी।उक्त आवेदन पत्र दिनांक 3.8.2011 के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उड़ीसा, कटक के कार्यालय को भेजा गया था।कि इसके बाद उक्त आवेदन को सरकार के अतिरिक्त सचिव, आबकारी विभाग को 21.09.2011 पर भेज दिया गया था।उक्त आवेदन पर आबकारी विभाग ने पांच साल की काफी अवधि तक ध्यान नहीं दिया।पाँच साल की अवधि के बाद, अतिरिक्त सचिव ने दिनांक 1 के पत्र/संचार के माध्यम से कलेक्टर, गंजम से मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके साथ ही, सी. डी. एम. ओ., गंजम से अपीलार्थी की मां के मामले को उचित जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखने के लिए एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसकी सरकारी नौकरी करने में असमर्थता जारी है।सी. डी. एम. ओ., गंजम ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया और अपीलार्थी की माँ की जांच की और अतिरिक्त सचिव को 01.11.2016 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य थी।सी. डी. एम. ओ., गंजम ने इसी आशय की एक और रिपोर्ट दिनांक 06.02.2017 प्रस्तुत की।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एक रिपोर्ट से

तहसीलदार, बेलागुंठा, जो अपीलार्थी का मूल स्थान है, को भी वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए बुलाया गया था और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट 28.10.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि सभी स्रोतों से अपीलार्थी की पारिवारिक आय Rs.72,000/- प्रति वर्ष की सीमा से अधिक नहीं है।

2.1 उपरोक्त के बावजूद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के आवेदन को विचाराधीन रखा गया था।हालाँकि, 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर अपीलार्थी की नियुक्ति का कोई और आदेश पारित होने से पहले, 1990 के नियमों को नए नियमों, अर्थात् ओडिशा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) नियम, 2020 (जिसे इसके बाद "2020 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे अधिसूचना दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से जारी किया गया था।2020 के नियमों के तहत, मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को 'समूह डी' आधार स्तर के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।इसलिए, अपीलार्थी का आवेदन आबकारी आयुक्त, ओडिशा के कार्यालय द्वारा 2020 के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को भेजा जा रहा था।

2.2 दिनांक 1 के संचार से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा अपीलार्थी के मामले को 2020 के नियमों के तहत विचार करने का निर्देश दिया गया था, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय के समक्ष, यह अपीलार्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से विशिष्ट मामला था कि उस समय प्रचलित नीति जब अनुकंपा आधार के लिए आवेदन किया गया था, लागू होगी न कि आवेदन पर निर्णय लेने के समय प्रचलित बाद की योजना।इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया गया था। तथापि, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके और/या विचार करके

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य (2020) 7 एस. सी. सी. 617, उच्च

न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि दावे पर विचार उन संशोधित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए जो आवेदन पर विचार करने के समय प्रचलित थे, न कि उन नियमों के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर प्रचलित थे।

जी.

2.3 रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और यह मानते हुए कि अपीलार्थी का मामला 2020 के नियमों (बाद की योजना) द्वारा शासित होगा, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

एच.

713

मलय नंदा सेठी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3. संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ों ने योजना और/या प्रासंगिक नियमों की प्रयोज्यता पर विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया है, अर्थात्, क्या मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति या आवेदन पर विचार करने के समय प्रचलित नीति।

3.1 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला और दूसरा (2020) 2 एस. सी. सी. 729; मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास (2020) 10 एस. सी. सी. 496; मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी (सिविल अपील सं. 6903/2021,18.11.2021 पर निर्णय लिया गया; मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, बीएसएनएल बनाम विद्या प्रसाद (सिविल अपील सं। 6019/2021,28.09.2021 पर निर्णय लिया गया; और सरकार के सचिव के मामले में इस न्यायालय का नवीनतम निर्णय। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा, 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1264, उनके इस निवेदन के समर्थन में कि प्रासंगिक योजना और/या कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नियम, जिनकी सेवा में मृत्यु हो गई थी, और/या आवेदन जमा करते समय, उन पर विचार किया जाना आवश्यक है न कि आवेदन पर विचार करते समय प्रचलित संशोधित नियमों पर।

4. हालांकि, दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगणओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता -राज्य ने एन. सी. संतोष (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. संतोष (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पूरे मामले के कानून पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया है कि दावे पर विचार उन संशोधित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए जो आवेदन पर विचार करने के समय प्रचलित थे, न कि उन नियमों के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित थे।4.1 प्रत्यर्थीगणओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि संशोधित नियम 2020 में भी, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि संशोधित 2020 नियम सभी लंबित आवेदनों के संबंध में लागू होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के उस दृष्टिकोण में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के दावे पर 2020 के संशोधित नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है, न कि 1990 के पहले के नियमों के अनुसार।

4.2 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने

इंगित किया कि भीमेश आलिया भीमप्पा (ऊपर) के मामले में,

जो कि एक हालिया निर्णय है, इस न्यायालय को एन. सी. संतोष (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला था।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

हमने नोट किया है कि इस बारे में दृष्टिकोण का टकराव है कि क्या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू योजना/नियम लागू होंगे या अनुकंपा के आधार पर आवेदन पर विचार करने की तारीख को लागू योजना/नियम लागू होंगे।इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अलग-अलग विचार और मतभेद हैं।हालाँकि, उक्त प्रश्न को एक तरफ रखते हुए, नीचे बताए गए कारणों के लिए, हमारी राय है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी 1990 के नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार होगा, जो उस समय लागू थे जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी और अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, यानी वर्ष 2010 में।

6. ऊपर उल्लिखित तिथियों और घटनाओं के कालक्रम से, यह विवाद में नहीं है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु 2.1.2010 पर सेवा में रहते हुए हुई थी।तुरंत, जुलाई 2010 में, अपीलार्थी ने 1990 के नियमों के तहत जूनियर क्लर्क के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला था कि उसकी माँ अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण सरकारी नौकरी करने में असमर्थ थी और इसलिए उसने एक पुत्र होने के नाते 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 1990 के नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जब मृतक की पत्नी जीवित हो, तो बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।1990 के नियमों के नियम 2 (बी) के अनुसार, "परिवार के सदस्य" का अर्थ होगा और इसमें वरीयता के क्रम में सदस्य शामिल होंगे, जिसमें शामिल हैं, (i) पत्नी/पति (ii) बेटे।इसलिए, जब माँ अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण सरकारी नौकरी करने में असमर्थ थी, तो अपीलार्थी, पुत्र होने के नाते, अपने पिता की मृत्यु पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने का हकदार था।अपीलार्थी का आवेदन, हालांकि वर्ष 2011 में अग्रेषित किया गया था, शुरू में पाँच साल की अवधि के लिए विचाराधीन रखा गया था।पाँच साल की अवधि के बाद अतिरिक्त सचिव ने इसमें भाग लिया।अतिरिक्त सचिव ने दिनांक 9.9.2016 के संचार के माध्यम से कलेक्टर, गंजाम को एक ए प्रस्तुत करने के लिए कहा

जी.

एच.

715

मलय नंदा सेठी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में ताजा रिपोर्ट।इसके साथ ही, सी. डी. एम. ओ., गंजम से एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी ताकि अपीलार्थी की मां को उचित जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष भेजा जा सके ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसकी सरकारी नौकरी करने में असमर्थता जारी है।मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी की माँ की जाँच की और 01.11.2016 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य थी।सी. डी. एम. ओ., कटक ने भी इसी आशय की एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 6.2.2017 प्रस्तुत की।बात यहीं खत्म नहीं होती।मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए तहसीलदार, बेलागुंठा, जो अपीलार्थी का पैतृक स्थान था, से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी।तहसीलदार, बेलागुंथा ने दिनांकित 28.10.2017 संचार के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि सभी स्रोतों से अपीलार्थी की पारिवारिक आय प्रति वर्ष Rs.72,000/- की सीमा से अधिक नहीं है।उपरोक्त के बावजूद और हालाँकि अपीलार्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी पात्रता मानदंडों और/या शर्तों को पूरा किया, लेकिन उन्हें 1990 के नियमों के अनुसार जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।हालाँकि, इस बीच, 1990 के नियमों को बदल दिया गया और 2020 के नियम लागू हो गए।

7. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई गलती और/या देरी और/या लापरवाही नहीं थी।वह 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा कर रहे थे।बिना किसी कारण के, उनके आवेदन को लंबित रखा गया और/या किसी न किसी आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसलिए, जब अपीलार्थी की ओर से कोई गलती और/या देरी नहीं हुई थी और पूरे समय विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी हुई थी, तो अपीलार्थी को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।1990 के नियमों के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति नहीं करना विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता के लिए एक प्रीमियम देना होगा।विभाग/अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से लापरवाही बरती गई।तथ्य स्पष्ट हैं और रोजगार की मांग में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने में गंभीर देरी को प्रकट करते हैं जो निर्विवाद रूप से विभाग/अधिकारियों के लिए जिम्मेदार है।वास्तव में, अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से वंचित कर दिया गया है, जिसका वह अन्यथा 1990 के नियमों के तहत हकदार था। अपीलार्थी विभाग/अधिकारियों की ओर से देरी और/या निष्क्रियता का शिकार हो गया है जो जानबूझकर या संबंधित अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से हो सकता है। इसलिए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, बड़े प्रश्न को खुला और अलग रखते हुए, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, हम हैं

यह राय कि इसमें अपीलार्थी को 1990 के नियमों के तहत नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

8. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे जुलाई, 2010 में किए गए अपने मूल आवेदन के अनुसार 1990 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करें और यदि वह अन्यथा उसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने के योग्य पाया जाता है।उपरोक्त प्रक्रिया आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।हालाँकि, यह देखा गया है कि अपीलार्थी अपनी नियुक्ति की तारीख से ही सभी लाभों का हकदार होगा।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

9. वर्तमान आदेश से अलग होने से पहले, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात, एक मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है और आधार या नीति मृतक के परिवार को उसकी असामयिक मृत्यु के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने में तत्काल है, अधिकारियों को इस तरह के आवेदनों पर विचार करना चाहिए और नियुक्ति के लिए ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेना चाहिए।

हम ऊपर बताए गए निर्देश देने के लिए विवश हैं क्योंकि हमने पाया है कि कई मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन समय पर नहीं दिए जाते हैं और वर्षों तक

लंबित रहते हैं।नतीजतन, कई मामलों में आवेदकों को अपने आवेदनों पर विचार करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करना पड़ता है।इस तरह का निर्देश जारी होने के बाद भी, आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए तुच्छ या परेशान करने वाले कारण दिए जाते हैं। एक बार फिर, आवेदकों को उच्च न्यायालय के समक्ष अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देनी होती है, जिससे मुकदमेबाजी लंबित रहती है और समय बीतता है, जिससे उस कर्मचारी के परिवार को छोड़ दिया जाता है जिसकी मृत्यु संकट में और वित्तीय कठिनाई में हुई थी।इसके अलावा, अधिकारियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों और अप्रासंगिक विचारों पर, अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है।कई वर्षों के बाद या तत्काल मामले की तरह बिल्कुल भी नहीं माना जाता है।

जी.

एच.

717

मलय नंदा सेठी बनाम ओडिशा राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

यदि प्रासंगिक नीतियों या नियमों के तहत परिकल्पित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो यह उचित और आवश्यक है कि ऐसे आवेदनों पर समय पर विचार किया जाए, न कि विलंबित तरीके से।हम ऐसे मामलों में आए हैं जहां लगभग दो दशकों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन के संबंध में विवाद का समाधान नहीं किया गया है।इसके परिणामस्वरूप सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपापूर्ण नियुक्ति देने की नीति की हताशा पैदा होती है।इसलिए हमने निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए।विचार निष्पक्ष, उचित और प्रासंगिक विचार पर आधारित होना चाहिए।आवेदन को तुच्छ और मामले के तथ्यों से परे कारणों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।तभी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

जी.

एच.